भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2758 का उत्तर

अंगमाली सबरी रेलवे लाइन के लिए निधि का आवंटन

2758. श्री एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित अंगमाली सबरी रेलवे लाइन के लिए निधि के साझा करने के संबंध में केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष में धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यारा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आवंटित धनराशि का उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) : एरुमेली के रास्ते अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन परियोजना को वर्ष 1997-98 में स्वीकृत किया गया था। अंगमाली-कलाडी (7 कि.मी.) पर कार्य और कलाडी-पेरुम्बवूर (10 किमी) मार्ग पर लंबी गमन दूरी के कार्य शुरू किए गए थे। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण और लाइन का संरेखण निर्धारित करने के विरुद्ध स्थानीय जनता द्वारा विरोध किए जाने, परियोजना के विरुद्ध दायर न्यायिक मामलों और केरल राज्य सरकार से अपर्याप्त सहयोग के कारण इस परियोजना पर आगे के कार्य नहीं किए जा सके।

मैसर्स केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल) द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत को अद्यतन करके 3801 करोड़ रु. किया गया है और दिसंबर, 2023 में केरल सरकार को अनुमान की स्वीकृति और परियोजना की लागत में साझेदारी करने के संबंध में सहमति प्रस्तुत की गई। केरल राज्य सरकार ने अगस्त, 2024 में कतिपय शर्तों के साथ परियोजना की लागत में साझेदारी के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की है। रेलवे द्वारा केरल राज्य सरकार से लागत में साझेदारी के लिए बिना शर्त सहमति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इस परियोजना हेतु केरल राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए केरल राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न घटकों जैसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत साझा की जाने वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा राज्य का भाग जमा करना, अतिलंघन जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक स्थितियाँ, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति के कारण परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, आदि पर निर्भर करता है।

केरल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रु./वर्ष
2024-25	3,011 करोड़ रु. (8 गुना से अधिक)

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुणा वृद्धि हुई है परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहीत करने पर निर्भर करती है। रेलवे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और रेल परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। बहरहाल, केरल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

केरल में परियोजनाओं के लिए आवश्यक कुल भूमि	475 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	64 हेक्टेयर (13%)
अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि	411 हेक्टेयर (87%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, हालांकि इनका पूरा होना केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करता है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सरकार को 2111.83 करोड़ रु. जमा कराए।

भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

****